रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2538] No. 2538] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 5, 2019/श्रावण 14, 1941

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 5, 2019/SHRAVANA 14, 1941

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(रसायन और पैट्रोरसायन विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2019

का.आ. 2792(अ).—केंद्रीय सरकार, की भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा 25 की उपधारा 3 के साथ पठित धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह राय है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम एनिलिन (मानक नियंत्रण) आदेश, 2019 है।
 - (2) यह आदेश राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से एक सौ इक्यासीवे दिन को प्रवृत्त होगा।
- 2. मानक चिह्न का अनिवार्य उपयोग—नीचे सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुएं उक्त सारणी के स्तंभ (2) में तत्स्थानी भारतीय मानक के अनुरुप होंगे और उन पर भारतीय मानक ब्यूरो (अनुरुप निर्धारण) विनियम 2018 की अनुसूची-2 की स्कीम-1 के अनुसार भारतीय मानक ब्यूरो से अनुज्ञप्ति के अधीन मानक चिह्न होगा :

परंतु इस आदेश की कोई बात निर्यात के लिए बनाई गई उक्त सारणी के स्तंभ (1) में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे माल या वस्तुओं को लागू नहीं होगी, जो विदेशी क्रेता द्वारा अपेक्षित विनिर्देश के अनुरुप है।

3. प्रमाणीकरण और प्रवर्तन प्राधिकरण — उक्त सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट माल या वस्तुओं के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो, इस आदेश के अधीन मानक चिह्न की अनुरुपता को प्रमाणित और प्रवर्तित करने के लिए प्राधिकारी होगा। इसके अतिरिक्त,राज्य सरकार के औद्योगिक विभाग में जिला उद्योग केंद्र प्रवर्तन प्राधिकरण होगा।

3996 GI/2019 (1)

[PART II—SEC. 3(ii)]

सारणी

माल या वस्तु	भारतीय मानक	भारतीय मानक का शीर्षक
(1)	(2)	(3)
एनिलिन	आईएस 2833 :1973	तकनीकी एनिलिन के लिए विनिर्देश

[फा. सं. सी-II. 13012/09/2018/सीएच-II] समीर कुमार बिश्वास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS

(Department of Chemicals and Petrochemicals)

ORDER

New Delhi, the 5th August, 2019

- **S.O. 2792(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16 read with sub-section (3) of section 25 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary or expedient so to do in the public interest, hereby makes the following Order, namely:—
 - **1. Short title and commencement.**—(1) This Order may be called the Aniline (Quality Control) Order, 2019.
 - (2) This Order shall come into force on the one hundred and eighty-first day from the date of its publication in the Official Gazette.
 - 2. Compulsory use of Standard Mark.—Goods or articles specified in the column (1) of the Table below shall conform to the corresponding Indian Standard given in the column (2) of the said Table and shall bear the Standard Mark under a license from the Bureau of Indian Standards as per Scheme-I of Schedule-II of BIS (Conformity Assessment) Regulations, 2018:

Provided that nothing in this Order shall apply in relation to goods or articles, as specified in the column (1) of the said Table, meant for export, which conform to the specification required by the foreign buyer.

3. Certification and enforcement.—In respect of the goods or articles specified in the column (1) of the said Table, the Bureau of Indian Standards shall be the authority to certify and enforce conformity to the Standard Mark under this Order. In addition, District Industries Centre in the Department of Industries of the State Government shall also be the enforcing authority.

TABLE

Goods or article	Indian Standard	Title of Indian Standard
(1)	(2)	(3)
Aniline	IS 2833 : 1973	Specification for Aniline, Technical

[F. No. C.II.13012/09/2018-Chem.II] SAMIR KUMAR BISWAS, Jt. Secy.